निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 2/2020 दावा
दायरा दिनांक 24.02.2020
निर्णय दिनांक :– 31.8.21

उनवान

रूप सिंह पुत्र छगनलाल जाति जाटव निवासी बोरदा तहसील बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारा जिला बारां राज.

वाद अन्तर्गत धारा 88,89 ए आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 31.8.21

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री डी.एस. सोंलकी – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि वाके ग्राम माल बोरदा पटवार हल्का दीलोदा तहसील बारां जिला बारां मे वर्णित आराजीयात खसरा नंबर 282 की रकबा 0.36 हेक्टर, खसरा नंबर 283 की रकबा 0.07 हेक्टर व खसरा नंबर 284 रकबा 0.05 हेक्टेयर, खसरा नंबर 285 रकबा 0.06 हेक्टेयर, खसरा नंबर 291 की रकबा 0.10 हेक्टेयर, खसरा नंबर 628 रकबा 0.36 हेक्टेयर, खसरा नंबर 629 रकबा 0.13 हेक्टेयर, खसरा नंबर 630 रकबा 0.06 हेक्टेयर, खसरा नंबर 632 रकबा 0.04 हेक्टेयर व खसरा नंबर 635 रकबा 0.61 हेक्टेयर व खसरा नंबर 659 रकबा 0.59 हेक्टेयर व खसरा नंबर 660 रकबा 0.42 हेक्टेयर, व खसरा नंबर 661 की रकबा 0.42 हेक्टयर व खसरा नंबर 662 रकबा 0.50 हेक्टेयर व खसरा नंबर 663 की रकबा 0.78 हेक्टेयर, खसरा नंबर 664 रकबा 1.74 हेक्टेयर, खसरा नंबर 683 रकबा 0.4 हेक्टेयर व खसरा नंबर 684 रकबा 0.07 हेक्टेयर व खसरा नंबर 700 रकबा 0.03 हेक्टेयर व खसरा नंबर 708 रकबा 0.05 हेक्टेयर व खसरा नंबर 711 रकबा 0.71 हेक्टेयर व खसरा नंबर 824 की रकबा 2.04 हेक्टयर कुल 22 किता कुल रकबा 9.23 हेक्टेयर स्थित है, जो वादी के शामलाती खातेदारी व राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है, जिसमें वादी का 1/30 हिस्सा है। वाद पत्र की मद् नंबर 1 मे अंकित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रूपसिंह पुत्र श्री छगनलाल जाति जाटव सा. देह के स्थान पर रूपचन्द पुत्र श्री छगनलाल जाति जाटव सा. देह राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया है, ज[illegible] का वास्तविक नाम रूपसिंह पुत्र श्री छगनलाल जाति जाटव सा. देह है। जो वादी [illegible] पहचान–पत्र, राशन कार्ड, बैंक डायरी, स्कूल दस्तावेज रिकार्ड मे [illegible] वाद–पत्र के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:51 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

वादी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी वर्तमान खाता संख्या 117 नया पुराना 127 वाके माल ग्राम बोरदा पटवार हल्का दीलोद तहसील बारां मे रूपसिंह पुत्र श्री छगनलाल जाति जाटव निवासी बोरदा के स्थान पर रूपचन्द पुत्र श्री छगनलाल जाति जाटव निवासी बोरदा राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज होने से वादी को उक्त आराजीयात पर के.सी.सी. जारी करवाने व सरकारी लाभ प्राप्त करने व फसल बेचने हेतु टोकन जारी करवाने मे काफी परेशानी आती है, तथा बैंक द्वारा वादी का नाम आधारकार्ड व पहचान–पत्र स्कूल दस्तावेज से मिलान ना होने के कारण के.सी.सी. जारी करने से साफ मनाकर दिया। इस कारण वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। इसलिये न्यायहित मे वाद पत्र की मद नंबर 1 मे वर्णित आराजीयात खाता संख्या 117 पुराना 127 वाके ग्राम माल बोरदा पटवार हल्का दीलोदा तहसील बारां जिला बारां के राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी मे वादी का नाम रूपचन्द्र पुत्र श्री छगनलाल जाति जाटव निवासी बोरदा के स्थान पर रूपसिंह पुत्र श्री छगनलाल जाति जाटव निवासी बोरदा तहसील बारां जिला बारां की वैधानिक अधिकारी एवं नालिसी है। वादी ने दिनांक 17.12.2019 को प्रतिवादी के राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकार्ड मे आधारकार्ड व पहचान–पत्र व अन्य दस्तावेज के अनुसार वादी का नाम रूपचन्द्र पुत्र श्री छगनलाल जाति जाटव निवासी बोरदा के स्थान पर रूपसिंह पुत्र श्री छगनलाल जाति जाटव निवासी बोरदा दर्ज करने की कहने पर प्रतिवादी द्वारा मनाकरने पर वाद कारण दिनांक 27.12. 2019 को बमुकाम बोरदा तहसील बारां मे अंतिम बार पैदा हुआ है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा अपना जवाब/ वाद जांच रिपोर्ट पेश की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा तहसील बारां सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 117, फोटो प्रति पहचान पत्र रूपसिंह, फोटो प्रति आधार कार्ड रूपसिंह, नकल परिवार राशनकार्ड रूपसिंह, नकल बैंक पास बुक बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक, नकल प्रमाण–पत्र प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटडी द्वारा जारी दिनांक 10.12. 2019 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरया गया। वकील वादी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम बोरदा तहसील बारां मे स्थित है, जिससे वादी का 1/30 हिस्सा दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम रूपसिंह पुत्र छगनलाल जाति जाटव के स्थान पर रूपचन्द्र पुत्र छगनलाल जाति जाटव राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज कर दिया है, जबकि वादी का वास्तविक नाम रूपसिंह पुत्र छगनलाल है। वादी के आधार कार्ड, फोटो पहचान–पत्र, बैंक पास बुक स्कूल के दस्तावेज मे प्रार्थी का वास्तविक नाम रूपसिंह पुत्र छगनलाल है, राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी केसीसी जारी करवाने व सरकारी लाभ प्राप्त करने तथा फसल बेचने हेतु टोकन जारी करवाने में काफी परेशानी आती है। वादी का वाद स्वीकार कर वादी का नाम रूपचन्द्र के स्थान पर रूपसिंह दर्ज किया जावे ताकि वादी को आने वाली पदेशानियों से निजात मिल सके।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बोरदा सम्वत् 2070–73 के अनुसार वादी का नाम रूपचन्द्र पुत्र छगनलाल हिस्सा 1/30 दर्ज रिकार्ड है। नकल पहचान–पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड, बैंक पास बुक के अनुसार प्रार्थी वादी का नाम रूपसिंह पुत्र छगनलाल दर्ज है। प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटडी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के अनुसार वादी का नाम शाला अभिलेखानुसार रूपसिंह पुत्र छगनलाल जाति जाटव निवासी बोरदा होना बताया है। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे रूपचन्द्र दर्ज है, परन्तु ग्राम वासियान की जानकारी के मुताबिक वास्तविक नाम रूपसिंह होना बताया है। पहचान–पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, स्कूल के प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रार्थी का वास्तविक नाम रूपसिंह बतया है। तहसीलदार द्वारा प्रार्थी का नाम रूपचन्द्र पुत्र छगनलाल के स्थान पर रूपसिंह पुत्र छगनलाल दर्ज करने की अनुशंषा की है। इससे यह साबित होता है, कि वादी का वास्तविक नाम रूपसिंह तथा राजस्व रिकार्ड में रूपचन्द्र गलत नाम दर्ज कर दिया गया है, जो सही किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बोरदा तहसील बारां के खाता संख्या 117 के कुल खसरा नंबर 22 किता रकबा 9.32 हेक्टेयर मे वादी का नाम रूपचन्द के स्थान रूपसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...लय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

...द संख्या 02/2020	धारा अन्तर्गत 88,89 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 31.08.2021
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः– श्री डी.एस. सोंलकी	अभिभाषक प्रतिवादीः–श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

रूप सिंह पुत्र छगनलाल जाति जाटव निवासी बोरदा तहसील बारां

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारा जिला बारां राज.

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम बोरदा तहसील बारां के खाता संख्या 117 के कुल खसरा नंबर 22 किता रकबा 9.32 हेक्टेयर मे वादी का नाम रूपचन्द के स्थान रूपसिंह दर्ज करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक. 31.08.2021 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
बारां जिला–बारां

		व्ययानुतोष	
क्रसं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.31 12:13:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner